कृषि निदेशालय, बिहार

सका0आ0सं0–06 / स्था0कोर्ट–05 / 18 कृ0 / पटना, दिनांक : , 2019

सकारण आदेश

कृषि विभागीय अधिसूचना संख्या–118 दिनांक 09.02.2017 द्वारा प्रख्यात बिहार कृषि प्रक्षेत्र 'क्षेत्र सहायक' नियमावली 2017 के आलोक में क्षेत्र सहायक से प्रक्षेत्र सहायक एवं प्रक्षेत्र प्रबंधक के पद पर प्रोन्नति से संबंधित क्षेत्र सहायकों के दावों पर विचार किया गया तथा विचारोपरांत यह पाया गया कि :–

1. संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जॉच प्रयोगशाला बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन क्षेत्र सहायक का पद वेतनमान वेतन स्तर–02 का है। इस पद का संवर्ग राज्य स्तरीय है तथा पूर्व में इस पद के नियुक्ति प्राधिकार संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जॉच प्रयोगशाला, बिहार, पटना थे। प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) के नियंत्रणाधीन प्रक्षेत्र सहायक का पद वेतनमान वेतन स्तर–04 का है। इस पद का संवर्ग प्रमंडल स्तर था तथा पूर्व में इस पद के नियुक्ति प्राधिकार प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) थे। जबकि कृषि विभाग के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रक्षेत्र प्रबंधक का पद वर्त्तमान में सृजित / स्वीकृत नहीं है।

2. कृषि विभागीय अधिसूचना संख्या–118 दिनांक 09.02.2017 द्वारा बिहार कृषि प्रक्षेत्र 'क्षेत्र सहायक' नियमावली, 2017 प्रख्यात हुआ, जिसकी कंडिका–3 में क्षेत्र सहायक के पद को मूल कोटि का पद, प्रक्षेत्र सहायक के पद को प्रथम प्रोन्नति स्तर का पद तथा प्रक्षेत्र प्रबंधक के पद को द्वितीय प्रोन्नति स्तर का पद घोषित करते हुए इन तीनों पदों का संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग के रूप में नामित करते हुए इन तीनों पदों के नियुक्ति प्राधिकार कृषि निदेशक, बिहार, पटना को घोषित किया गया है।

3. साथ ही, इस नियमावली की कंडिका–06 में इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हत्ता आई0एस0सी0 / कृषि डिप्लोमा निर्धारित की गई, कंडिका–08 में सेवा सम्पुष्टि की व्यवस्था की गई, कंडिका–10 में प्रोन्नति हेतु सेवा सम्पुष्ट होना आवश्यक किया गया, कंडिका–11 में विभागीय परीक्षा के लिए निम्नलेखा परीक्षा, उच्चलेखा (पुस्तक रहित) परीक्षा तथा उच्च लेखा (पुस्तक सहित) परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य किया गया, कंडिका–12 में कालावधि पूरा करना आवश्यक किया गया, कंडिका–13 में विभागीय प्रोन्नति समिति गठित करने की व्यवस्था की गई है। कंडिका–14 में प्रोन्नति हेतु सभी पद शत प्रतिशत प्रोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था की गयी है तथा कंडिका–18 में नियुक्ति / प्रोन्नति हेतु आवश्यक नीति का पालन करने के लिए व्यवस्था की गयी है।

4. कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जॉच प्रयोगशाला, बिहार, पटना की स्थापना में कार्यरत निम्नांकित क्षेत्र सहायकों द्वारा प्रक्षेत्र सहायक एवं प्रक्षेत्र प्रबंधक के पद पर अपनी–अपनी पदोन्नति के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में निम्नलिखित याचिकाएँ दायर किये गये हैं, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेशों की तिथि एवं आवेदकों की संख्या निम्नवत् है :–

क्रम सं0	वाद सं0 एवं वर्ष	वादी एवं प्रतिवादी का विवरण	पारित न्यायादेश की तिथि	आवेदक की संख्या
1	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–6452 / 2018	गिरधारी नन्दन सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	13.04.2018 02.05.2018	05
2	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9258 / 2018	मनोज कुमार वर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	11.05.2018	01
3	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9293 / 2018	संजय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	11.05.2018	01
4	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9309 / 2018	शैलेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
5	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9327 / 2018	अम्बिका पासवान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01

6	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9346/2018	उदय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
7	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9365/2018	गिरेन्द्र कुमार यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
8	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9382/2018	मणि कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
9	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9390/2018	जलेश शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
10	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9391/2018	श्रीमती मधु देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
11	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9409/2018	अरविन्द कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
12	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9458/2018	रंजय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
13	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9481/2018	परिमल प्रियदर्शी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
14	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9586/2018	अभिमन्यु यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
15	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9708/2018	राजीव रंजन सिन्हा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01
16	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9760/2018	निर्मल कुमार गुप्ता बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	18.05.2018	01

5. (i) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–6452/2018 में पारित न्यायादेश दिनांक 13.04.2018 का संदर्भित अंश निम्नवत् है :–

"Accordingly, it is directed that the petitioner may file a fresh representation before the respondent no. 4 within a period of two weeks from today and the respondent no. 4 shall dispose of the same by a reasoned and speaking order within a period of four weeks thereafter.

The writ petition is disposed of in the aforesaid terms".

(ii) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–6452/2018 में पारित न्यायादेश दिनांक 02.05.2018 का संदर्भित अंश निम्नवत् है :–

"The learned counsel for the petitioners points out that the appropriate authority for considering the representation of the petitioners and disposing of the same is Respondent No. 1 and not Respondent No. 4.

Accordingly, the expression Respondent No. 4 wherever appearing in the order dated 13.04.2018, be read as Respondent No. 1".

(iii) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9258/2018 एवं 9293/2018 में पारित न्यायादेश दिनांक 11.05.2018 तथा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9309/2018, 9327/2018, 9346/2018, 9365/2018, 9382/2018, 9390/2018, 9391/2018, 9409/2018, 9458/2018, 9481/2018, 9586/2018, 9708/2018 एवं 9760/2018 में पारित न्यायादेश दिनांक 18.05.2018 का संदर्भित अंश निम्नवत है:–

"Accordingly, it is directed that the petitioner may file a representation regarding his grievances within two weeks and in case such representation is filed before the respondent no-1, then the same may be considered and disposed of within a period of four weeks from the date of filing of the said representation by a reasoned and speaking order considering the fact that the new rules /new service conditions have been framed providing for promotional avenues.

The writ petition is disposed of on the aforesaid terms."

6. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायादेशों के आलोक में संबंधित आवेदकों द्वारा पृथक–पृथक रूप से अपने–अपने याचिका में पारित न्यायादेश का उंल्लेख करते हुए तथा पारित न्यायादेश की प्रति भी संलग्न करते हुए अपना–अपना दावा अभ्यावेदन कृषि उत्पादन आयुक्त, कृषि विभाग, बिहार, पटना के समक्ष समर्पित किया गया है, जिसमें संबंधित सभी आवेदकों द्वारा कृषि विभागीय अधिसूचना संख्या–118 दिनांक 09.02.2017 द्वारा प्रख्यात बिहार कृषि प्रक्षेत्र 'क्षेत्र सहायक' नियमावली, 2017 में निर्धारित किये गये पद सोपान के तहत प्रथम पदोन्नति प्रक्षेत्र सहायक के पद पर तथा द्वितीय पदोन्नति प्रक्षेत्र प्रबंधक के पद पर प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है।

7. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम0जे0सी0 नं0–1900/2018 गिरधारी नंदन सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 29.08.2018 का संदर्भित सम्पूर्ण अंश निम्नवत् है:–

"The learned counsel for the contemnors has filed a show cause submitting that the proper authority for considering the case of the petitioners is the Director, Department of Agriculture, Patna and he has already taken steps for considering the matter of the petitioners for promotion, however a further period of six weeks is required to complete the process.

In view of the aforesaid, by way of final opportunity, six weeks' time is granted to comply the order, non-compliance whereof has been complained of by the petitioner.

List this case on 31.10.2017. If on the next date of hearing, the order is not complied, the Director would be present in the Court. It is noted that the Director, Administration-cum-Additional Secretary, Department of Agriculture, Patna has appeared in the Court, however his personal appearance for the moment is dispensed with."

8. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायादेशों के आलोक में कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–722 दिनांक 28.08.2018 एवं 734 दिनांक 02.09.2018 द्वारा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्र सहायकों, प्रक्षेत्र सहायकों एवं प्रक्षेत्र प्रबंधकों के स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्त बल की सूचना उपलब्ध कराने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारों को निदेशित किया गया , जहाँ संबंधित पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्र सहायक का कुल 318, प्रक्षेत्र सहायक का कुल 241 तथा प्रक्षेत्र प्रबंधक का कुल शून्य पद है। फलतः यह स्पष्ट हुआ है कि बिहार कृषि प्रक्षेत्र 'क्षेत्र सहायक' नियमावली, 2017 के प्रख्यात होने के उपरान्त भी प्रक्षेत्र प्रबंधक का पद स्वीकृत/सृजित नहीं हुआ है, जबकि क्षेत्र सहायक एवं प्रक्षेत्र सहायक का पद पूर्व से ही स्वीकृत/सृजित है, जहाँ प्रक्षेत्र सहायक के स्वीकृत/सृजित सभी 241 पदों पर सुयोग्य क्षेत्र सहायकों को प्रोन्नत किया जाना है।

9. संयुक्त कृषि निदेशक, उपयोगी अनुसंधान, बिहार, पटना के आदेशांक–22A/98 दिनांक 30.01.2013 तथा संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना के आदेशांक–58/557 दिनांक 09.08.2018 द्वारा कुल 63+06=69 (उनहत्तर) क्षेत्र सहायकों की सेवा को सम्पुष्ट किया गया है।

10. कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के आदेशांक–62/647 दिनांक 25.08.2017 द्वारा क्षेत्र सहायकों की अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित है।

11. सामान्य प्रशासन विभागीय संकल्प संख्या–7433 दिनांक 05.06.2018 द्वारा राज्य सरकार के सेवकों की प्रोन्नति के मामला में वेतनमान वेतन स्तर–02 से वेतन स्तर–04 के पद पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि आठ वर्ष निर्धारित है।

12. सामान्य प्रशासन विभागीय संकल्प संख्या–7291 दिनांक 01.06.2018 द्वारा वेतनमान वेतन स्तर–02 एवं 04 के पदों को समूह 'ग' में रखा गया है।

13. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभागीय पत्रांक–458 दिनांक 30.09.2002 के अनुलग्नक–02 द्वारा प्रोन्नति संवर्ग के लिए 100 बिन्दुओं का आदेश रोस्टर बिंदु प्रख्यात है। तद्नुसार रोस्टर पंजी में प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरान्त क्षेत्र सहायक के पद से प्रक्षेत्र सहायक के कुल स्वीकृत 241 पदो पर प्रोन्नति के लिए रोस्टर बिन्दु संख्या–01 से 241 तक में आरक्षण की अनुमान्यता निम्नवत् हैः–

(i) अनुसूचित जाति के लिए अनुमान्य रोस्टर बिन्दु संख्या–04, 10, 16, 24, 28, 34, 40, 48, 56, 62, 68, 74, 78, 86, 92, 98, 104, 110, 116, 124, 128, 134, 140, 148, 156, 162, 168, 174, 178, 186, 192, 198, 204, 210, 216, 224, 228, 234 एवं 240 कुल 39 (उन्नचालीय) पद ।

(ii) अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमान्य रोस्टर बिन्दु संख्या–44 एवं 144 कुल 02 (दो) पद।

(iii) अनारक्षित वर्ग के लिए अनुमान्य रोस्टर बिन्दु संख्या–01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239 एवं 241 कुल 200 (दो सौ) पद।

14. प्रशाखा द्वारा उपस्थापित किये गए प्रस्ताव एवं साक्ष्य से यह भी स्पष्ट हुआ कि :–

(I) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के आदेशांक–62/647 दिनांक 25.08.2017 द्वारा प्रकाशित क्षेत्र सहायकों की अंतिम वरीयता सूची में नामित कुल–149 क्षेत्र सहायकों में से मात्र 41 क्षेत्र सहायक ही वर्त्तमान में कार्यरत हैं।

(II) कार्यरत 41 क्षेत्र सहायकों में से क्रमाक–07, 25, 30 एवं 34 पर नामित मात्र 04 (चार) क्षेत्र सहायक की ही शैक्षणिक योग्यता आई0एस0सी0/कृषि डिप्लोमा है।

(III) कार्यरत 41 क्षेत्र सहायकों में से क्रमांक–03, 04, 06, 07, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 30, 31, 33, 34 एवं 36 पर नामित कुल 17 (सतरह) क्षेत्र सहायक ही हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा क्रमांक–09, 12 एवं 29 पर नामित कुल 03 (तीन) क्षेत्र सहायक ही हिन्दी परीक्षा से विमुक्त हैं। फलतः कुल (17+3)=20 क्षेत्र सहायक ही हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण हैं।

(IV) कार्यरत 41 क्षेत्र सहायकों में से क्रमांक–03, 06, 07, 08, 10, 11, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 34 एवं 35 पर नामित कुल 15 (पन्द्रह) क्षेत्र सहायक ही कम्प्यूटर सक्षमता जॉच परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा क्रमांक–17 पर नामित 01 (एक) क्षेत्र सहायक ही कम्प्यूटर सक्षमता जॉच परीक्षा से विमुक्त हैं। फलतः कुल (15+1)=16 क्षेत्र सहायक ही कम्प्यूटर सक्षमता जॉच परीक्षा उत्तीर्ण हैं।

(V) कार्यरत 41 क्षेत्र सहायकों में से क्रमांक–17, 20, 23 एवं 30 पर नामित कुल 04 क्षेत्र सहायक निम्नलेखा परीक्षा उत्तीर्ण हैं।

(VI) कार्यरत 41 क्षेत्र सहायकों में से क्रमांक–20 एवं 23 पर नामित कुल 02 (दो) क्षेत्र सहायक ही उच्चलेखा परीक्षा उत्तीर्ण हैं।

(VII) कुल कार्यरत 41 क्षेत्र सहायकों में से इस प्रस्ताव के क्रमांक–03, 04, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32 एवं 35 पर नामित कुल 20 क्षेत्र सहायक इस प्रोन्नति मामले से संबंधित उपर्युक्त संदर्भित सभी 16 (सोलह) समादेश याचिकाओं के आवेदकगण हैं।

(VIII) कार्यरत 41 क्षेत्र सहायकों में से क्रमांक–01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 एवं 37 पर नामित कुल 35 (पैंतीस) क्षेत्र सहायक ही दक्षता जॉच परीक्षा में उत्तीर्ण हैं तथा उनकी सेवा भी संपुष्ट है।

(IX) कार्यरत 41 क्षेत्र सहायकों में से क्रमांक–02 एवं 33 पर नामित दो कर्मी दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं तथा उनकी सेवा भी सम्पुष्ट नहीं है।

(X) कार्यरत 41 क्षेत्र सहायकों में से क्रमांक–38, 39, 40 एवं 41 पर नामित चार (04) कर्मी का अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं तथा उनमें से क्रमांक–39, 40 एवं 41 पर नामित तीन (03) कर्मी कालावधि भी पूरा नहीं करते हैं।

15. साथ ही, प्रशाखा द्वारा यह भी बताया गया कि :–

(i) सरकार के सचिव, राजभाषा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–रा0 / स्था0–405 / 79–95 दिनांक 16.04.1979 द्वारा क्षेत्र सहायकों को हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्त किया गया है।

(ii) सामान्य प्रशासन विभागीय अधिसूचना संख्या–1609 दिनांक 24.05.2011 द्वारा राज्य के सचिवालय सहायकों एवं पर्यवेक्षकीय संवर्गों के साथ–साथ समूह 'ग' के कर्मियों को बिहार सरकारी सेवक (संपुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 के तहत, 50 वर्ष आयु पूरी कर चुके सरकारी सेवकों को छोड़कर, कम्प्यूटर सक्षमता जॉच परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है।

(iii) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–06 / स्था0 वि0प0कम्यु0–01 / 12–90 दिनांक 11.01.2013 द्वारा 50 वर्ष आयु पूरी कर चुके सरकारी सेवकों को कम्प्यूटर सक्षमता जॉच परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्त किया गया है।

16 वर्णित उपरोक्त परिस्थिति मेंयह पाया गया कि कृषि विभागीय अधिसूचना संख्या–118 दिनांक 09.02.2017 के आलोक में किसी भी क्षेत्र सहायकों को प्रक्षेत्र सहायक / प्रक्षेत्र प्रबंधक के पद पर प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए आई0एस0सी0 / कृषि डिप्लोमा की योग्यता तथा विभागीय परीक्षा के लिए निम्नलेखा परीक्षा एवं उच्चलेखा परीक्षा (पुस्तक रहित एवं पुस्तक सहित) में उत्तीर्णता आवश्यक है।

तत्पश्चात् समीक्षोपरान्त यह भी पाया गया कि:–

(1) क्षेत्र सहायक संवर्ग में वर्त्तमान में कार्यरत 41 क्षेत्र सहायकों में से मात्र चार क्षेत्र सहायक यथाः–(i) श्री अशोक कुमार दास (व०क्र०–114), श्री अरविन्द कुमार चौहान (व०क्र०–133), श्री मनोरंजन प्रसाद (व०क्र०–138), एवं श्री कमलेश कुमार (व०क्र०–142) ही आई0एस0सी0 की योग्यता रखते हैं।

(ii) क्षेत्र सहायक संवर्ग में वर्त्तमान में कार्यरत 41 क्षेत्र सहायकों में से मात्र चार क्षेत्र सहायक यथा :– (1) श्री दिलीप कुमार सिन्हा (व०क्र०–125), (2) श्री शैलेश कुमार (व०क्र०–128), (3) श्री निर्मल कुमार गुप्ता (व०क्र०–131) एवं (4) श्री मनोरंजन प्रसाद (व०क्र०–138) निम्नलेखा परीक्षा उत्तीर्ण हैं।

(iii) क्षेत्र सहायक संवर्ग में वर्त्तमान में कार्यरत 41 क्षेत्र सहायकों में से मात्र दो क्षेत्र सहायक, यथाः– (1) श्री शैलेन्द्र कुमार (व०क्र०–128) एवं (2) श्री निर्मल कुमार गुप्ता (व०क्र०–131) उच्च लेखा परीक्षा (पुस्तक रहित एवं पुस्तक सहित) परीक्षा उत्तीर्ण हैं।

(iv) इन चार आई0एस0सी0 योग्यताधारी, चार निम्नलेखा परीक्षा एवं दो उच्च लेखा परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त उपर्युक्त सभी सात क्षेत्र सहायकों में से एक भी क्षेत्र सहायक आई0एस0सी0 परीक्षा

में उत्तीर्णता, निम्नलेखा परीक्षा में उत्तीर्णता एवं उच्चलेखा परीक्षा में उत्तीर्णता से संबंधित तीनों योग्यता प्राप्त नहीं किये हैं, जिससे इनमें से कोई भी कर्मी क्षेत्र सहायक से प्रक्षेत्र सहायक/प्रक्षेत्र प्रबंधक के पद पंर प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए योग्यता नहीं रखते हैं।

17 फलतः इस मामला में सभी पहलुओं पर विचारोपरांत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायादेशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 24.10.2018 में लिए गये निर्णय एवं किये गये अनुशंसा के आलोक में यह निर्णय लिया जाता है कि चूँकि क्षेत्र सहायक संवर्ग में कार्यरत कोई भी क्षेत्र सहायक कृषि विभागीय अधिसूचना संख्या–118 दिनांक 09.02.2017 के आलोक में अपनी प्रोन्नति के लिए निर्धारित योग्यता आई0एस0सी0 सहित विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्णता की योग्यता नहीं रखते हैं इसलिए वर्त्तमान में इनमें से कोई भी क्षेत्र सहायक, जिनमें सभी आवेदकगण भी शामिल हैं, प्रक्षेत्र सहायक के पद पर प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए सुयोग्य/परिपक्व नहीं हैं। फलतः पूर्ण विचारोपरान्त इन क्षेत्र सहायकों को प्रक्षेत्र सहायक एवं प्रक्षेत्र प्रबंधक के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने के दावों में असहमति प्रदान करते हुए सभी संबंधित क्षेत्र सहायकों/आवेदकों के अभ्यावेदनों को अस्वीकृत करते हुए संचिकास्त किया जाता है।

18. आदेश दिया जाता है कि इस सकारण आदेश की प्रति सभी संबंधित आवेदकों को भी दे दी जाय।

ह0/–

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 19 कृ0, पटना, दिनांक– 15-1-, 2019

प्रतिलिपि :– कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/संबंधित अपर महाधिवक्ता, स्थायी सलाहकार एवं सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जॉच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/सभी संयुक्त निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी संबंधित क्षेत्र सहायकों/आवेदकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.01.19

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

D:\ALL File Section -06\Order, 2018\B. Gupta, Order 2018\09.03.2018 (order) B. Gupta.doc